

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

पत्रांक : 5189/14-1 बिजनौर, दिनांक : जनवरी 14 2019

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,  
मुरादाबाद।

विषय :- जनपद बिजनौर की तहसील बिजनौर के ग्राम खुड़ाहेड़ी की खसरा सं० 181 पर बिजनौर-हरिद्वार मार्ग किमी० 21 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.078764 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - Online Submission File No. FP/UP/Others/34755/2018 dated

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद बिजनौर की तहसील बिजनौर के ग्राम खुड़ाहेड़ी की खसरा सं० 181 पर बिजनौर-हरिद्वार मार्ग किमी० 21 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.078764 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा-2 के अन्तर्गत 0.091763 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 03 प्रतिथों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहें हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
(एम.सेम्मारन)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वरिष्ठ सेल्स प्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिजनौर।

(एम.सेम्मारन)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।